

आप्रवास और नागरिकता प्रदान सेवा (Immigration and Naturalization Service - INS) अब स्वदेश सुरक्षा विभाग (Department of Homeland Security - DHS) का भाग है और इसे निम्न रूप में नया नाम दिया गया है और पुनर्गठित किया गया है :

1. नागरिक और अप्रवास सेवा ब्यूरो (Bureau of Citizenship and Immigration Services - BCIS)
2. सीमा-शुल्क और सीमा रक्षा ब्यूरो (Bureau of Customs and Border Protection - CBP)
3. आप्रवास और सीमा-शुल्क प्रवर्तन ब्यूरो (Bureau of Immigration and Customs Enforcement - ICE)

ये सभी ब्यूरो DHS के भाग हैं और इन्हें इस पुस्तिका के उद्देश्यों के लिए "DHS" कहा जाएगा।

I. यदि पुलिस, FBI या DHS एजेंट मुझसे सम्पर्क करते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए?

प्रश्न : क्या मुझे एजेंटों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे? उत्तर : आपके पास खामोश रहने का संवेदनिक अधिकार है। प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सहमत होने से पहले किसी वकील से बात करना एक अच्छा विचार है। आपको उस स्थिति में भी किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप को गिरतार ही क्यों न किया जा चुका हो। केवल एक न्यायाधीश ही आपको प्रश्नों का उत्तर देने का आदेश दे सकता है।

प्रश्न : क्या मैं किसी वकील से बात कर सकता हूँ?

उत्तर : आपको प्रश्नों का उत्तर देने से पहले किसी वकील से बात करने का अधिकार है, चाहे पुलिस आपको इस अधिकार के बारे में बताए या न बताए। वकील का काम आपके अधिकारों की रक्षा करना है। जैसे ही आप यह कहते हैं कि आप किसी वकील से बात करना चाहते हैं, तब अधिकारियों को आपसे प्रश्न पूछना बन्द कर देना चाहिए। यदि आपके पास वकील न हो, तब भी आप अधिकारी को यह बता सकते हैं कि आप प्रश्नों का उत्तर देने से पहले किसी वकील से बात करना चाहते हैं। यदि आपके पास वकील हो, तो उसका व्यावसायिक कार्ड अपने पास रखें। इसे अधिकारी को दिखाएं और अपने वकील को बुलाने के लिए कहें। स्वयं से मिलने वाले किसी जांचकर्ता का नाम, एजेंसी और टेलीफोन नंबर लेना याद रखें और यह सूचना अपने वकील को दें।

प्रश्न : क्या एजेंट मेरे घर या कार्यालय की तलाशी ले सकते हैं? उत्तर : पुलिस या अन्य कानून प्रवर्तन (enforcement) एजेंट तब तक आपके घर की तलाशी नहीं ले सकते, जब तक आप इसके लिए उन्हें अनुमति न दें या जब तक उनके पास तलाशी का वारंट न हो। तलाशी का वारंट एक ऐसा न्यायालय आदेश है, जो पुलिस को विशेष तलाशी लेने की अनुमति देता है। तलाशी लेने में बाधा पहुँचाने से शायद तलाशी नहीं रुकेगी और हो सकता है कि आपको इसके लिए गिरफ्तार ही कर लिया जाए। पर आपको यह स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि आपने

अपनी सहमति नहीं दी है और यह तलाशी आपकी इच्छा के विरुद्ध है। आपके कमरे का साथी या मेहमान आपके घर की तलाशी लेने के लिए उस स्थिति में कानूनी रूप से सहमति दे सकता है, जब पुलिस को यह विश्वास हो कि उस व्यक्ति को सहमति देने का अधिकार है। पुलिस और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को किसी कार्यालय की तलाशी लेने के लिए वारंट की जरूरत होती है, पर आपका नियोक्ता (employer) आपकी अनुमति के बिना आपके काम करने के स्थान की तलाशी लेने के संबंध में सहमति दे सकता है।

प्रश्न : यदि एजेंटों के पास तलाशी वारंट हों तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए?

उत्तर : यदि आप एजेंटों के तलाशी लेने के लिए आने पर मौजूद हों, तो आप वारंट देखने के लिए कह सकते हैं। वारंट में उन स्थानों के बारे में विस्तार से सूचना होनी चाहिए, जिनकी तलाशी ली जानी है और जिन लोगों या वस्तुओं को ले जाया जाना है। अपने वकील को जल्दी से जल्दी बुलाएं। यह पूछें कि क्या आपको तलाशी देखने की अनुमति है, और यदि आपको अनुमति हो, तो आपको इसे देखना चाहिए। अन्य बातों के साथ इन बातों को लिख लें कि प्रत्येक अधिकारी का नाम, बैज नंबर वर्ग का यह एजेंसी से है, उन्होंने कहां-कहां तलाशी ली और वे क्या ले गए। यदि अन्य लोग मौजूद हों तो उन्हें यह देखने के लिए गवाह के रूप में काम करने दें कि क्या हो रहा है।

प्रश्न : यदि पुलिस के पास तलाशी वारंट हो, तो क्या मुझे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे?

उत्तर : नहीं। किसी तलाशी वारंट का यह अर्थ नहीं है कि आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न : यदि एजेंटों के पास तलाशी का वारंट न हो तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए?

उत्तर : आपको पुलिस को अपने घर की तलाशी नहीं लेने देनी है और आपको उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं देने हैं। पुलिस आपकी मनाही का उपयोग वारंट प्राप्त करने के लिए नहीं कर सकती।

प्रश्न : उस स्थिति में क्या करना चाहिए यदि एजेंटों के पास तलाशी वारंट न हों, पर मेरे द्वारा आपनि करने के बावजूद भी वे मेरे घर की तलाशी लेने पर अड़े रहते हैं?

उत्तर : तलाशी के रास्ते में न आएं। यदि कोई आपके साथ है तो उसे इस बात का गवाह बनने के लिए कहें कि आप तलाशी के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं। जल्दी से जल्दी अपने वकील को बुलाएं। तलाशी लेने वाले अधिकारियों के नाम और बैज नंबर ग्राहन कर लें।

प्रश्न : यदि मैं सरकारी एजेंटों से बात करना चाहूँ, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए?

उत्तर : कानून प्रवर्तन से की गई कोई भी बात आपके और अन्यों के विरुद्ध उपयोग की जा सकती है। इस बात को ध्यान में रखें कि किसी सरकारी अधिकारी से यह सूचना लेने का अधिकार है। गवाहों और उनके नामों और फोन नंबरों को खोजने का प्रयास करें। यदि आप धायल हो जाते हैं, तो चिकित्सा प्राप्त करें और जल्दी से जल्दी चोटों के चित्र ले लें। किसी वकील को बुलाएं।

प्रश्न : यदि पुलिस मुझे गली में रोक लेती है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए?

उत्तर : यह पूछें कि क्या आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि इसका उत्तर हां में हो, तो वहां से जाने की बात सोचें। यदि पुलिस यह कहती है कि आपको गिरतार नहीं किया गया है पर आप जाने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, तो आपको नजरबद किया जा रहा है। पुलिस आपके कपड़ों की बाहरी तरफ थपथपा सकती है, जब उसके पास इस बात पर संदेह करने का कारण हो कि आपके पास हथियार हो सकते हैं और आप खतरनाक साबित हो सकते हैं। यदि वे इससे ज्यादा तलाशी लेते हैं, तो उनसे साफ रूप से कह दें, "मैं तलाशी की सहमति नहीं देता।" बहरहाल वे तलाशी जारी रख सकते हैं। यदि आपको गिरतार या रोका जाता है तो आपको किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, सिवाय एक जरूरी सवाल का। जब आपको रोका जाता है, तब पुलिस एक बार आपका नाम पूछेगी। कई राज्यों में आपको इस सवाल का जवाब ना देने पर गिरतार किया जा सकता है।

प्रश्न : यदि पुलिस मुझे मेरी कार में रोक ले तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए?

उत्तर : अपने हाथों को वहां रखें, जहां पुलिस इन्हें देख सके। आपको किसी तलाशी की सहमति नहीं देनी है। पर यदि पुलिस के पास महत्वपूर्ण कारण हों तो आपकी कार की बिना आपकी सहमति के भी तलाशी ली जा सकती है। अधिकारी यात्रियों और चालकों को एक-दूसरे से अलग कर सकते हैं जिससे वे उनसे प्रश्न पूछ कर उनके उत्तरों का मिलान कर सकें।

प्रश्न : उस स्थिति में क्या करना चाहिए जब मेरे द्वारा पुलिस या FBI के प्रश्नों का उत्तर न देने पर वे मुझे ग्रैंड ज्यूरी सम्मन की धमकी दें?

उत्तर : ग्रैंड ज्यूरी सम्मन आपके लिए न्यायालय जाने और उस सूचना को बताने का लिखित आदेश है, जो आपके पास हो सकती है। यदि पुलिस या FBI सम्मन देने की धमकी देती है, तो आपको तुरन्त किसी वकील को बुलाना चाहिए। आप जो कुछ भी कहते हैं, वह अमर्तौर पर आपके विरुद्ध जाएगा।

प्रश्न : यदि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या मुझे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा?

उत्तर : नहीं। यदि आपको गिरतार कर लिया जाता है, तो आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना होगा। तुरन्त किसी वकील के लिए कहें। आपको किसी प्रश्न का उत्तर देने का निर्णय करने से पहले हमेशा किसी वकील से बात करनी चाहिए।

प्रश्न : उस स्थिति में क्या करना चाहिए, जब पुलिस या FBI मेरे साथ दृश्यवहार करती है?

उत्तर : अधिकारी का बैज नंबर, नाम या पहचान वाली कोई अन्य सूचना लिख लें। आपको अधिकारी से यह सूचना लेने का अधिकार है। गवाहों और उनके नामों और फोन नंबरों को खोजने का प्रयास करें। यदि आप धायल हो जाते हैं, तो चिकित्सा प्राप्त करें और जल्दी से जल्दी चोटों के चित्र ले लें। किसी वकील को बुलाएं।

II. यदि मैं नागरिक नहीं हूँ और DHS मुझसे सम्पर्क करता है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए?

अपने अधिकारों पर दृढ़ रहें। यदि आप अपने अधिकारों की मांग नहीं करते या यदि आप अपने अधिकारों को प्रभावहीन बना देने वाले कागजात पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो DHS आप को किसी वकील से मिलने या आप्रवास न्यायाधीश के सामने पेश होने से पहले निर्वासित (deport) कर सकता है। किसी भी कागज को पढ़ने, समझने और इस पर हस्ताक्षर करने के परिपाम जानने से पहले उस पर हस्ताक्षर न करें।

किसी वकील से बात करें। यदि सम्भव हो, तो अपने साथ किसी ऐसे वकील का नाम और टेलीफोन नंबर रखें, जो आपके फोन सुनेगा। आप्रवास के नियम समझने में कठिन हैं और इनमें हाल में कई परिवर्तन किए गए हैं।

आधुनिक कानूनों, विनियमों और दिशानिर्देशों के आधार पर अनिवासियों के पास आमतौर पर नीचे दिए गए अधिकार हैं, चाहे उनका आप्रवास दर्जा कुछ भी हो। निम्न सूचना में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए किसी वकील से सम्पर्क करना महत्वपूर्ण है।

निम्न अधिकार उन अनिवासियों पर लागू होते हैं, जो अमरीका में हैं। अमरीका में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे अनिवासियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध होते हैं और उनके पास यह सारे समान अधिकार नहीं हैं।

प्रश्न : क्या DHS के किसी प्रश्न का उनकर देने या DHS के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले मेरे वकील से बात करने का अधिकार है?

उत्तर : यदि आपको नजरबद किया हुआ है, तो आपको किसी वकील या अपने परिवार को बुलाने का अधिकार है और आपके पास नजरबदी में किसी वकील से मिलने का अधिकार है। आपके पास यह अधिकार है कि आप किसी आप्रवास न्यायाधीश के सामने किसी सुनवाई में अपने वकील को अपने साथ रखें। आपको आप्रवास कार्यालयों के लिए सरकार द्वारा नियुक्त वकील की सेवाएं लेने का अधिकार नहीं है, पर यदि आपको गिरफ्तार किया गया है, तो आप्रवास अधिकारियों को आपको मुफ्त या कम लागत के कानूनी सेवा प्रदानकर्ता की सूची दिखानी चाहिए।

प्रश्न : क्या मुझे अपना ग्रीनकार्ड या अन्य आप्रवास कागजात अपने साथ ले जाने चाहिए?

उत्तर : यदि आपके पास अमरीका में आपको रहने के लिए प्राधिकृत करने के कागजात हैं, तो आपको इन्हें अपने साथ ले जाना चाहिए। DHS को नकली या अवधि बीत चुके कागजात पेश करने पर आपको निर्वासित किया जा सकता है या आपराधिक एक मुकदमा किया जा सकता है। एक ऐसा ग्रीन कार्ड जिसकी अवधि शेष हो, I-94, रोजगार प्राधिकरण कार्ड (Employment Authorization Card) सीमा पार करने का कार्ड (Border Crossing Card) या ऐसा अन्य कागजात इस अपेक्षा को पूरा करेंगे जो यह सिद्ध करते हैं कि आपका दर्जा कानूनी है। यदि आप इन कागजात को अपने साथ नहीं लेकर जाते, तो आप

पर किसी सामान्य अपराध का आरोप लगाया जा सकता है। अपने आप्रवास कागजात की एक प्रति परिवार के किसी ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति या दोस्त के पास रखें, जो आवश्यकता पड़ने पर इसे आपको फैक्स कर सकता है। अपने विशेष मामलों के बारे में अपने आप्रवास वकील से सम्पर्क करें। आपको पुलिस अधिकारियों, सीमा गश्त एजेंटों और हवाई जहाज के पायलटों को भी अपनी पहचान दिखानी पड़ सकती है।

प्रश्न : क्या मुझे अपने आप्रवास इतिहास के बारे में सरकारी अधिकारियों से बात करने की जरूरत है?

उत्तर : जब आपने एक बार अपने दर्जे का सबूत दिखा दिया हो, तो आपको अधिकारियों से और अधिक बात नहीं करनी होगी – यह आप पर निर्भर करता है। आपकी स्थिति के आधार पर आपके लिए खामोश रहना और पहले अपने वकील से बात करना बेहतर हो सकता है। आप्रवास कानून बहुत जटिल है। इसे समझें बिना आपको परेशानी हो सकती है। वकील आपके अधिकारों की रक्षा कर सकता है, आपको परामर्श दे सकता है और आपको ऐसे उनर देने से रोक सकता है, जिनसे आप आहत हो सकते हैं। यदि कौन आपसे यह पूछता है – आपके राजनीतिक और धार्मिक विश्वास क्या हैं, आप किस समूह से संबंध रखते हैं या किस समूह में योगदान करते हैं, आपने कौन सी बातें कही हैं – आपने कहा – कहां यात्रा की है या यदि यह ऐसे प्रश्न पूछता है जो सही प्रतीत नहीं होते, तो आपको इनका उनर नहीं देना है। कोई अधिकारी तब तक आपसे आपके घर में आपसे आपको अपने आप्रवास दर्जे का सबूत देने के लिए नहीं कह सकता, जब तक उसके पास वारंट न हो।

प्रश्न : यदि मुझे आप्रवास के उल्लंघनों के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो क्या मेरे पास निर्वासन आरोपों से स्वयं की रक्षा करने के लिए किसी आप्रवास न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई का अधिकार है?

उत्तर : हाँ। अधिकांश मामलों में आप्रवास न्यायाधीश ही आपको निर्वासित करने का आदेश दे सकता है। पर यदि आप अपने अधिकार छोड़ देते हैं या देश छोड़ने पर सहमत होकर 'र्चैच्चिक प्रस्थान' ले लेते हैं, तो आपको बिना किसी सुनवाई के निर्वासित किया जाता है। यदि आपको अपराधी सिद्ध किया जा चुका हो, सीमा पर गिरफ्तार किया गया हो, आप वीजा छठ कार्यक्रम के माध्यम से अमरीका में आए हों या विगत में निर्वासन का आदेश दिया जा चुका हो, तो आपको बिना सुनवाई के निर्वासित किया जा सकता है। यह पता लगाने के लिए किसी वकील से तुरन्त सम्पर्क करें कि क्या आपके लिए कुछ राहत है?

प्रश्न : यदि मुझे गिरफ्तार किया जाता है, तो क्या मैं अपने वाणि अज्य दूतावास (Consulate) को फोन कर सकता हूँ?

उत्तर : हाँ। अमरीका में गिरफ्तार किए गए अनिवासियों के पास अपनी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करने के लिए अपने वाणि अज्य दूतावास को फोन करने या पुलिस द्वारा वाणिज्य दूतावास को इस बारे में बताने का अधिकार है। यदि वाणिज्य दूतावास के अधिकारी आपसे मिलने या बात करने का निर्णय लेते हैं, तो पुलिस को उन्हें ऐसा करने देना चाहिए। आपका वाणिज्य दूतावास आपको कोई वकील खोजने या अन्य सहायता करने में आपकी मदद कर सकता है।

प्रश्न : यदि मैं सुनवाई का अपना अधिकार छोड़ दूँ या सुनवाई खत्म होने से पहले अमरीका से चला जाऊँ तो उस स्थिति में

क्या होगा?

उत्तर : ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आप कुछ आप्रवास लाभों के लिए अपनी पत्रात्रा खो दें और भविष्य में अनेक वर्षों के लिए आपके अमरीका लौटने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपको निर्णय लेने से पहले हमेशा किसी आप्रवास वकील से बात करनी चाहिए।

प्रश्न : यदि मैं DHS से सम्पर्क करना चाहता हूँ मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर : DHS से सम्पर्क करने से पहले हमेशा किसी वकील से बात करें, चाहे आप फोन पर ही सम्पर्क करों न कर रहे हों। कई DHS अधिकारी 'प्रवर्तन' को अपना प्रमुख कार्य समझते हैं और वे आपके सभी विकल्पों को आपको नहीं समझाएंगे।

III. हवाई अड्डे पर मेरे क्या अधिकार हैं?

महत्वपूर्ण टिप्पणी : केवल आपकी प्रजाति, राष्ट्रीय मूल, ईर्ष्य, लिंग या जातीयता के आधार पर कानून प्रवर्तन (law enforcement) द्वारा निम्न में से रोकने, तलाशी लेने, नजरबंद करने या हटाने से संबंधित कोई भी काम करना गैरकानूनी है।

प्रश्न : यदि मैं वैध यात्रा कागजात के साथ अमरीका में प्रवेश कर रहा हूँ, तो क्या कोई अमरीकी सीमा-शुल्क एजेंट मुझे रोक सकता है और मेरी तलाशी ले सकता है?

उत्तर : हाँ। सीमा-शुल्क एजेंटों के पास प्रत्येक व्यक्ति को रोकने, नजरबंद करने और उसकी तथा किसी वस्तु की तलाशी लेने का अधिकार है।

प्रश्न : क्या उस स्थिति में मेरे बैगों या मेरी तलाशी ली जा सकती है, जब मैं बिना किसी समस्या के डिटेक्टरों से गुजर चुका होऊँ या सुरक्षा कर्मचारी स्कैनर पर जब यह देख चुके हों कि मेरे पास कोई हथियार नहीं था?

उत्तर : हाँ। चाहे आपके बैगों की प्रारम्भिक जांच से किसी भी संदेहास्पद वस्तु का पता नहीं लगता, फिर भी तलाशी कर्मचारियों के पास आपके बैगों की ओर अधिक तलाशी लेने का अधिकार है।

प्रश्न : यदि मैं किसी हवाई जहाज में हूँ, तो क्या हवाई जहाज का कोई कर्मचारी मुझसे प्रश्न पूछ सकता है या मुझे हवाई जहाज से उतरने के लिए कह सकता है?

उत्तर : किसी हवाई जहाज के पायलट के पास उस स्थिति में किसी यात्री को हवाई जहाज में यात्रा करने से मना करने का अधिकार है, यदि उसका ऐसा विश्वास है कि यात्री हवाई उड़ान के लिए खतरा है। पायलट का निर्णय तर्कपूर्ण होना चाहिए और यह पूर्व धारणाओं के स्थान पर आपके अवलोकन पर आधारित होना चाहिए।

यदि आपको हवाई अड्डे पर परेशान किया गया हो, तो कृपया यात्री को परेशान करने संबंधी शिकायत फार्म (Passenger Profiling Complaint Form) भरें जो www.aclu.org/airlineprofiling पर हमारी वेबसाइट के जातीय समानता विभाग से मिल सकता है।

सहायता सम्पर्क सूचना

अमरीकी-अरब भेदभाव रोधक समिति [American-Arab Anti-Discrimination Committee] (ADC):
(202) 244-2990

अमरीकी आप्रवास वकील संघ [American Immigration Lawyers Association] (AILA):
1-800-954-0254

अमरीकी कानूनी रक्षा और शिक्षा निधि [Asian American Legal Defense and Education Fund] (AALDEF):
(212) 966-5932

अमरीकी-इस्लामी संबंध संबंधी परिषद् [Council on American-Islamic Relations] (CAIR):
(202) 488-8787

राष्ट्रीय वकील संघ [National Lawyers Guild]:
(212) 679-5100

राष्ट्रीय आप्रवास परियोजना [National Immigration Project]:
(617) 227-9727

नागरिक अधिकार संबंधी अमरीकी आयोग [U.S. Commission on Civil Rights] (UCCR):
(800) 552-6843

दक्षिण एशियाई नेटवर्क [South Asian Network] (SAN):
(800) 552-6843

अपने अदि तकार जानिए

पुलिस, FBI, सीमा-शुल्क एजेंट या आप्रवास अधिकारियों द्वारा पूछताछ की जाए

प्रकाशक:
जातीय उत्पीड़न के विरुद्ध ACLU अभियान

अमरीकी नागरिक स्वतंत्रता संघ (THE AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION) स्वतंत्रता के संबंध में राष्ट्र का मुख्य संरक्षक है और यह अमरीका के संविधान और कानूनों द्वारा प्रदान किए गए वैयक्तिक अधिकारों और आजादी की रक्षा करने के लिए न्यायालयों, विधान-मंडलों तथा समुदायों में प्रतिदिन कार्य कर रहा है।

अधिकारी और निदेशक

NADINE STROSSEN, अध्यक्ष
ANTHONY ROMERO, कार्यकारी निदेशक
KENNETH B. CLARK, प्रधान, कार्यकारी
सलाहकार परिषद
RICHARD ZACKS, कोषाध्यक्ष

संशोधित 10/24/03



HINDI